न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्याः **31/2020 (60/2015)**

दायर दिनाँक **11.09.2020 (21.05.2015)**

प्रार्थीगण		**अप्रार्थीगण**
1. रामेश्वरलाल पुत्र गीधाराम, उम्र–40साल, 2. धन्नी पत्नी गीधाराम, उम्र–80साल, समस्त,जाति–जाट, निवासी–बुगालियों की ढाणी, पटवारक्षेत्र–खाखोली, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. रविन्द्र पुत्र भँवरलाल, 2. सुगनी पत्नी भँवरलाल, 3. प्रेमसुख पुत्र गणेशाराम, समस्त,जाति–जाट, निवासी–बुगालियों की ढाणी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

प्रार्थना–पत्र
अन्तर्गत धारा–251 ए
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री अजीतसिंह राठौड़, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री महेन्द्रसिंह खिलेरी, अधिवक्ता, अप्रार्थी ।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **19.08.2025**

संक्षेप में प्रार्थीगण की प्रार्थना इस प्रकार है कि खेत खसरा नम्बर 264 रकबा 09, खसरा नम्बर 265 रकबा 16 बिघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 266 रकबा 12 बिघा में कुँआ व ढाणी जो मौजा बुगालियों की ढाणी में स्थित है, उक्त नम्बर 264, 264 व 266 में वर्तमान में प्रार्थीगण के खेत तक पहुँचने के लिए कोई रास्ता नहीं है, जिस हेतु प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 263 रकबा 13 बीघा 03 बिस्वा में से नये रास्ते के लिए आवेदन कर रहे हैं। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (ए) उपधारा (1) के अन्तर्गत रास्ते की अनुमति लेना चाहते हैं।

प्रकरण को उक्त सर्वप्रथम प्रकरण संख्या 60/2015 दिनांक 21.05.2015 से दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण के संबंध में दि[illegible]2016 को निर्णय पारित किया गया। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक [illegible].06.2[illegible] को माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा दिनांक 15.01.2020 को [illegible] किये जाने पर प्रकरण उक्त वर्णित नम्बर से दर्ज रजिस्टर किया गया। [illegible] सम्मन तलब किया गया। सम्मन की तामिली पर अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता महेन्द्रसिंह खिलेरी ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:20:27 IST
Reason: SelfAttested

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

तहसीलदार डीडवाना से जरिये पत्रांक- रीडर/2021/407 दिनांक 22.04.2021 द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार डीडवाना से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आवेदक की भूमि के कोई कटाणी रास्ता नही लगता है। आवेदक को उक्त खसरा में आने जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है। नजरी नक्शे पर दर्शाये अनुसार लाल डोटेड लाईन मार्क ए.बी.सी. जोकि कटाणी रास्ते से प्रार्थीगण के खेत तक आवागमन बाबत् सबसे सुगम व न्यूनतम दूरी का रास्ता है। मार्क एबीसी हेतु प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 70 गट्ठा व चौड़ाई दो गट्ठा क्षेत्रफल 140 गट्ठा (0-07बिस्वा) बनता है।

अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता द्वारा मौका रिपोर्ट आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश कर आपत्ति जताई कि श्रीमान के आदेश के अनुसार आदेश क्रमांक 361/2021 दिनांक 09.04.2021 के आधार पर मौका देखा गया, जिसमें अप्रार्थीगण को किसी प्रकार का नोटिस नही दिया गया और न ही किसी प्रकार की कोई सूचना दी गई, उक्त आदेश जारी करते वक्त न्यायालय द्वारा अपनी तहरीर में स्पष्ट रूप से पद संख्या 3 में यह अंकित किया था कि सबसे नजदीक लगने वाले कटाणी रास्ते से मौका रिपोर्ट तैयार कर मय नक्शा भिजवाया जावे, इसके बावजूद भी तहसीलदार द्वारा उक्त मौका रिपोर्ट तैयार करते वक्त खसरा नम्बर 268 व 267 जिनमें से प्रार्थी द्वारा चाहे गये खेतों के कटाणी रास्ता लगता है। उन खसरा नम्बरान को कटाणी रास्ते की कोई दूरी तय नहीं की और न ही नाप तय किया और न ही उस रास्ते की तरफ से कोई मौका रिपोर्ट तैयार की। आपत्तिकर्ता के खेत में दर्शाया गया रास्ता निकटतम रास्ता नहीं है इसके बावजूद भी मौका रिपोर्ट तैयार करने वालों से मिलीभगत करके गलत रिपोर्ट पेश की है। अतः खसरा नम्बर 267 व 268 से लगने वाली दूरी व नाप के आधार पर भी मौका रिपोर्ट तलब कर उचित निर्णय पारित किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र का जवाब प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रस्तुत कर जवाब में बताया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर राजस्व कर्मचारियों द्वारा निकटतम व कम दूरी में ही मौका रिपोर्ट तैयार की जाती है। प्रार्थी के सबसे निकट दूरी कटाणी रास्ते से अप्रार्थीगण के खेत में से ही है। राजस्व अधिकारियों ने नियमानुसार रिपोर्ट बनायी है। अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 263 के चिपते ही पूर्वी तरफ कटाणी रास्ता है तथा अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 263 के मध्य में से दूरी कम है मगर खेत के दो भाग न हो इस कारण से खेत की उत्तरी सीमा के पास-पास मार्क ए बी रास्ता दिया है जिसकी दूरी भी कम है। प्रार्थीगण के अन्य खातेदारी सगे भाई है इसलिए प्रार्थना पत्र में पक्षकार नही बनया गया है। अप्रार्थीगण ने जानबूझकर व पैसे के बल पर एक गरीब काश्तकार को रास्ता की भूमि नही देना चाहते है, इसलिए उक्त आपत्ति प्रथम दृष्टया ही काबिले निरस्त है। उक्त आवेदन के समर्थन में शपथ-पत्र भी अप्रार्थीगण ने नहीं दिया है तथा उक्त प्रकरण 2016 से लम्बित है, जबकि उक्त नियम में तीन माह में रास्ता देने का प्रावधान है, जिससे भी उक्त आवेदन काबिले खारिज है।

आपत्ति प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील अप्रार्थी के मुख्यतः कथन आपत्ति प्रार्थना पत्र पर आधा[illegible] वकील प्रार्थी के कथन मुख्यतः आपत्ति प्रार्थना पत्र के [illegible] की बहस पर मनन किया एवं तहसीलदार से [illegible] मौका रिपोर्ट का [illegible] किया। वकील अप्रार्थी का कथन है कि आपत्तिकर्ता [illegible] रास्ता नहीं है इसके बावजूद भी मौका रिपोर्ट तैयार करने वालों से [illegible] करके गलत रिपोर्ट पेश की है। एवं कथन किया कि मौका निरिक्षण के दौरान अप्रार्थीगण को किसी प्रकार का

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:20:27 IST
Reason: SelfAttested

Vikas

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

नोटिस नहीं दिया गया और न ही किसी प्रकार की कोई सूचना दी गई। दौराने अवलोकन पाया कि तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित रास्ता खसरा संख्या 263 से ही निकटतम है तहसीलदार द्वारा मात्र अप्रार्थी के खेत के दो भाग होने से रास्ता खसरा संख्या 263 की सींव–सींव प्रस्तावित किया है। तहसीलदार द्वारा प्राप्त रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि रविन्द्र पुत्र भंवरलाल विदेश रहता है, सुगनी देवी पत्नी भंवरलाल ने सूचना पत्र लेने से इन्कार किया, प्रेमसुख वर्तमान में अजमेर रहता है। हल्का पटवारी द्वारा अप्रार्थी के मो. नं. 9414708219 पर बात होना बताया है। अतः अप्रार्थी को मौका निरिक्षण के दौरान सूचित किया गया है। अतः उपरोक्त विवेचनों के आधार पर वकील अप्रार्थी संख्या 3 का मौका रिपोर्ट पर आपत्ति का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

प्रकरण में उभय पक्षकारान की अन्तिम बहस सुनी गई। उभयपक्ष अधिवक्तागणों की बहस पर मनन करने, तत्समय विधि का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण खसरा नम्बर 264, 264 व 266 में पहुंचने हेतु अप्रार्थी के खेत खसरा संख्या 263 में से रास्ते की मांग कर रहे है। तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार आवेदक की भूमि के कोई कटाणी रास्ता नहीं लगता है। आवेदक को उक्त खसरा में आने जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है। अतः तहसीलदार द्वारा मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तुत नजरी नक्शा में रास्ता खसरा संख्या 263 में मार्क ए–बी–सी प्रस्तावित किया गया है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित रास्ता खसरा संख्या 263 से ही निकटतम है तहसीलदार द्वारा मात्र अप्रार्थी के खेत के दो भाग होने से रास्ता खसरा संख्या 263 की सींव–सींव प्रस्तावित किया है। वकील प्रार्थीगण तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित मौका रिपोर्ट से सहमत है। अतः तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित रास्ता नजरी नक्शा अनुसार मार्क ए–बी–सी को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित है। अतः उपलब्ध साक्ष्यों, प्रार्थीगण की सहमति तहसीलदार डीडवाना की रिपॉर्ट के परिपेक्ष में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर मौजा बुगालियों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 264 रकबा 09, खसरा नम्बर 265 रकबा 16 बिघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 266 रकबा 12 बिघा में आवागमन हेतु तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट पत्रांक–रीडर/2021/407 दिनांक 22.04.2021 में दर्शित प्रस्तावित रास्ता मार्क ए–बी–सी भूमि को रास्ता की भूमि घोषित की जाती है तहसीलदार डीडवाना राजस्व रेकर्ड में उक्तानुसार अमल दरामद करने से पूर्व रास्ता में गयी भूमि की कीमत का आंकलन वर्तमान डी0एल0सी0 दर के हिसाब से प्रस्तावित रास्ते की भूमि का नियमानुसार प्रभावित खातेदारान् को भूगतान करावे। तहसीलदार डीडवाना की मौका पत्रांक–रीडर/2021/407 दिनांक 22.04.2021 निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा।

vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 19.08.2025 को खुले इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:20:27 IST
Reason: SelfAttested

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना